

Compensation to the Farmers

35. Ch. AFTAB AHMED (Nuh)

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

- a) Whether it is a fact that the compensation of Rabi Crops, 2022, damaged due to heavy rains/water logging in the State has not been disbursed to the affected farmers so far;
- b) The reasons for which the compensation of about amounting to rupees 32 crores out of total amounting to rupees 41 crores of Nuh District have not been disbursed to the farmers so far;
- c) Persons/official responsible for causing the delay in disbursement of this compensation togetherwith the action taken by the Government against such persons; and
- d) Whether the disbursement of compensation has also been pending in other districts of State?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a&d) Sir, an amount of Rs. 1,09,64,75,321/- has been sanctioned on 16.12.2022 to the Deputy Commissioners namely Ambala, Yamunanagar, Kaithal, Nuh, Rewari, Hisar, Jind, Rohtak, Sonipat and Jhajjar for Rabi crops 2022 as compensation on account of damage due to heavy rains/water logging. Out of this, Rs. 43,32,21,741/- have been disbursed by the district administrations concerned, so far. The disbursement of the remaining amount is also going on.
- b&c) An amount of Rs. 32,25,86,500/- was sanctioned to Deputy Commissioner, Nuh on 16.12.2022. Due to prescribed procedural requirements such as verification, etc., only part of the amount could be disbursed before the financial year closed. The balance amount has been re-sanctioned by the Government which is under the process of disbursement. An amount of Rs. 1,34,41,020/- has been disbursed, so far. The disbursement is time consuming mainly on account of due diligence required in the process.

किसानों को मुआवजा

35

चौ. आफताब अहमद (नूहं)

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में भारी वर्षा/जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त हुई रबी फसल, 2022 का मुआवजा अब तक प्रभावित किसानों को वितरित नहीं किया गया है;
- ख) नूहं जिले के प्रभावित किसानों को 41 करोड़ रूपए की कुल राशि में से लगभग 32 करोड़ रूपए की राशि का मुआवजा अब तक वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं; तथा
- ग) इस मुआवजे के वितरण में देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; तथा
- घ) क्या राज्य के अन्य जिलों में भी मुआवजे का वितरण लंबित है ?

श्री दुष्यंत चौटाला उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा

क व घ) श्रीमान जी, भारी वर्षा/जलभराव से खराब हुई रबी फसल 2022 हेतु सरकार के पत्र दिनांक 16.12.2022 द्वारा उपायुक्त अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, नूहं, रेवाड़ी, हिसार, जीन्द, रोहतक, सोनीपत तथा झज्जर को मु० 109,64,75,321/- रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसमें से, सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा अब तक मु० 43,32,21,741/- रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है। शेष राशि का वितरण भी जारी है।

ख व ग) उपायुक्त नूहं को दिनांक 16.12.2022 को मु० 32,25,86,500/-रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी। सत्यापन इत्यादि जैसी निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण, वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व राशि का केवल एक हिस्सा ही वितरित किया जा सका। शेष राशि सरकार द्वारा पुनः स्वीकृत कर दी गई है जो वितरण की प्रक्रिया में है। अब तक मु० 1,34,41,020/- रूपये की राशि का वितरण किया जा चुका है। मुख्य रूप से प्रक्रिया में आवश्यक परिश्रम के कारण संवितरण में समय लगता है।